अनुदान संख्या 83 – जहाजरानी मंत्रालय
GRANT No. 83–MINISTRY OF SHIPPING

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	536,10,00		536,12,00	492,14,31	–43,97,69
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					40,61,91
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*2,00,00*		*10,00,00*	*9,85,39*	*–14,61*
पूरक	*Supplementary*	*8,00,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–			349,95,00	84,32,72	–265,62,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					257,91,40

टीका और टिप्पणियां — ***Notes and comments***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4250.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–4250.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	2871.00	1268.30	1238.97	–29.33
पु.	R.	–1602.70			
मुख्य शीर्ष "3051'' पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	36358.00	35580.31	35356.39	–223.92
पु.	R.	–777.69			
मुख्य शीर्ष "3052'' जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	3982.00	3116.50	3139.10	+22.60
पु.	R.	–865.50			
मुख्य शीर्ष "3056'' अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	4912.00	8488.00	8509.00	+21.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	3574.00			

(I) 4428.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4250.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने और व्यपगत न होने वाले पूल के अंतर्गत शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.4428.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.4250.00 lakhs alone was under Major Head "2552" - "Other Expenditure –Lumpsum Provision for Projects/Schemes of North Eastern Region and Sikkim" – due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for meeting expenditure on Projects/Schemes of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount to non-lapsable pool.

(II) मुख्य शीर्ष "2852'' - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - जहाज निर्माण के संबंध में आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत 1500.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोचीन शिपयार्ड लि. द्वारा भारतीय जहाजरानी निगम के साथ अल्फ्रामेक्स टैंकर के लिए संविदा पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत - प्रकाशस्तंभ - कार्यचालन व्यय''-

(क) "प्रचालन तथा मरम्मत''- 154.82 लाख रु. की बचत (873.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयान एम वी परादीप के शुष्क गोदीयन के लिए निविदा संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज''- 260.41 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वास्तविक पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज का पुनः परिकलन किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य - अनुसंधान और विकास - प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण को अनुदान''- 229.53 लाख रु. की बचत (433.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई पत्तन न्यास को 12 माह तक किराए तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की अदायगी न किए जाने के मंत्रालय के निर्णय के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3052'' - "तटीय जहाजरानी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "प्रशिक्षण और शिक्षा - भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान''- 422.67 लाख रु. की बचत (1137.36 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार के इस निर्णय के कारण हुई कि भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान को दिए जाने वाला सहायता अनुदान संस्थान द्वारा अर्जित राजस्व को समायोजित करने के पश्चात ही जारी किया जाए।

(खा) "विनियमन तथा निरीक्षण - वाणिज्यिक समुद्री विभाग''- 168.35 लाख रु. की बचत (727.71 लाख रु. के स्वीकृत

(II) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries – Transport Equipment Industries - Ship-building Subsidy" – saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-signing of contract for Alframax Tanker by Cochin Shipyard Limited with Shipping Corporation of India.

(III) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Lighthouses and Lightships - Lighthouses– Working Expenses" -

(a) "Operation and Maintenance" - saving of Rs.154.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.873.00 lakhs) was due to non-finalisation of tendering process for dry docking of the Vessel MV Pradeep.

(b) "Interest on Capital Outlay" - saving of Rs.260.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to recalculation of interest on actual Capital Outlay.

(B) "General - Research and Development - Grants to Tariff Regulatory Authority" - saving of Rs.229.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.433.00 lakhs) was due to the decision of the Ministry for not making payments of 12 months rent and license fee to Mumbai Port Trust.

(IV) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training and Education – Indian Institute of Maritime Studies" – saving of Rs.422.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1137.36 lakhs) was due to the decision of the Government that the grants-in-aid to Indian Institute of Maritime Studies was to be released after adjusting the revenue earned by the Institute.

(B) "Regulation and Inspection - Mercantile Marine Department" - saving of Rs.168.35 lakhs

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और निदेशालय के व्यावसायिक सेवा शीर्ष में से सर्वेक्षकों को परीक्षा शुल्क और सर्वेक्षण शुल्क की अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.727.71 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and payment of examination fee and survey fee to the Surveyors out of professional service head of the Directorate.

(गा) "जहाजरानी सेवाएं - जहाजरानी सेवाओं को सहायता''- 216.32 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर भारतीय जहाजरानी निगम को दी जाने वाली सहायता का पुन: परिकलन किए जाने के कारण हुई।

(C) "Shipping Services – Assistance to Shipping Services" – saving of Rs.216.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to recalculation of assistance to be given to Shipping Corporation of India on the basis of Audit Certificate.

(V) मुख्य शीर्ष "3056'' - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - सीआईडब्ल्यूटीसी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुदान'' के अंतर्गत 257.00 लाख रु. की बचत (707.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए अनुमोदित लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए जाने की वजह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए परिकल्पित राशि का उपयोग न किए जा सकने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants for Implementation of Voluntary Retirement Schemes for CIWTC" - saving of Rs.257.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.707.00 lakhs) was due to non-utilisation of the amount envisaged for Voluntary Retirement Scheme owing to early achievement of the target approved by the Cabinet.

(VI) छ: शीर्षों के अंतर्गत 476.88 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under six heads savings of Rs.476.88 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4057.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2004 में मुख्य शीर्ष "3056'' - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान'' के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.4057.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in February, 2004 under Major Head "3056" – "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant to Inland Water Ways Authority of India".

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.70.00 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	1387.00	754.50	755.00	+0.50
पु.	R.	–632.50			
मुख्य शीर्ष "5051'' पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	7050.00	4911.60	4743.46	–168.14
पु.	R.	–2138.40			
मुख्य शीर्ष "5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5494.00	366.00	362.00	–4.00
पु.	R.	–5128.00			
मुख्य शीर्ष "5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	15100.00	666.00	109.26	–556.74
पु.	R.	–14434.00			
मुख्य शीर्ष "6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	1938.00	1305.50	1305.00	–0.50
पु.	R.	–632.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7051" पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "7051" Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	2900.00	42.00	. .	–42.00
पु.	R.	–2858.00			

(I) 8000.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7900.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "5052'' - "समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण जलयान''- 5000.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से नए सर्वेक्षण जलयान के अधिग्रहण के लिए अनुमानों का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "7051'' - "मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज''- 2900.00 लाख रु. परादीप पत्तन पर नहर को गहरा करने की परियोजना को स्वीकृत न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4858'' - "जहाज निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.'' के अंतर्गत 625.00 लाख रु. की बचत (1375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्लवमान गोदी के अधिग्रहण/निर्माण के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "लघु पत्तन - अन्य छोटे पत्तन - अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण''- 1339.58 लाख रु. की बचत (4280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोर्ट ब्लेयर में जंगलीघाट बंदरगाह के विकास के लिए प्रस्ताव को

(I) Provision of Rs.8000.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.7900.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5052" - "Overseas Shipping – Other Expenditure -Survey Vessels" - Rs.5000.00 lakhs - due to non-receipt of approval of estimates for acquisition of new Survey Vessels from the competent authority.

(B) Major Head "7051" - "Major Ports - Loans for Public Sector and other Undertakings– Loans to Port Trust" - Rs.2900.00 lakhs - due to non-sanctioning of deepening of channel project at Paradip Port.

(II) Under Major Head "4858" – "Ship-Building Industries –Investment in Public Sector and other Undertakings – Hindustan Shipyard Ltd." – saving of Rs.625.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1375.00 lakhs) was due to less requirement of funds by Hindustan Shipyard Limited on account of acquisition/ construction of Floating Dock.

(III) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Minor Ports – Other Small Ports – Construction of landing facilities and Jetties" – saving of Rs.1339.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4280.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for the development of

अंतिम रूप न दिए जाने और ग्रेटर निकोबार द्वीपसमूह में केम्बेल खाड़ी में गहरे जल जहाजघाट के निर्माण संबंधी निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत - प्रकाशस्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाशस्तंभों का निर्माण और सुधार"- 863.96 लाख रु. की बचत (1820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य निष्पादन में विलंब और कुछ नई स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से भी 29 चालू स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - सूचना प्रौद्योगिकी का विकास" के अंतर्गत 128.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई- गवर्नेंस के अंतर्गत कुछ स्कीमों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5075" - "नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - अन्य नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - कलकत्ता पत्तन न्यास को अदायगी" के अंतर्गत 14890.74 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का आशोधन किए जाने और पत्तन न्यास के सामने आने वाली कतिपय कठिनाइयों, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, की वजह से कोलकाता पत्तन न्यास के हुगली मुहाने में तलछट के सुधार के लिए संविदा को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण भी हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "6858" -"परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि." के अंतर्गत 625.00 लाख रु. की बचत (1375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्लवमान गोदी के अधिग्रहण/निर्माण के संबंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.19 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

Junglighat harbour at Port Blair and non-finalisation of tender for construction of Deep Water Wharf at Cambell Bay in Greater Nicobar Island.

(B) "Light Houses and Lightships – Construction and Development of Light Houses– Construction and Improvement of Lighthouses" - saving of Rs.863.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1820.00 lakhs) was due to less requirement of funds for implementation of 29 ongoing schemes owing to delay in execution of work and also delay in approval of some new schemes.

(IV) Under Major Head "5052" – "General - Other Expenditure - Development of Information Technology" - saving of Rs.128.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-implementation of some schemes under E-Governance.

(V) Under Major Head "5075" – "River Training Works – Other River Training Works – Payment to Calcutta Port Trust" – saving of Rs.14890.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to modification of the scheme and also on account of non-materialisation of contract for improvement of draft in Hoogly Estuary of Kolkata Port Trust owing to certain difficulties faced by the Port Trust, which is being revaluated.

(VI) Under Major Head "6858" – "Transport Equipment Industries - Loans for Public Sector and other Undertakings - Hindustan Shipyard Ltd." - saving of Rs.625.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1375.00 lakhs) was due to less requirement of funds by Hindustan Shipyard Limited on account of acquisition/ construction of Floating Dock.

(VII) Under one head saving of Rs.58.19 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.